ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.23

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री कमलेश कुमार	01-04-22 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री राज कुमार	01-04-22 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत दारपा के लेखाओं अवधि 1-04-2022 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.98
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	16.46

3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	0.42
4	6(ख)	विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना	0.04
5	10(क)	royality की कटौती न करके वसूली न करना	0.12
6	10(ख)	स्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.02

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है ।

भाग- दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30-01-2024 से 08-02-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	01/23	05/22

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-76 दिनांक 08.02.24 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत दारपा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) **स्व: स्रोत व 5वां वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत दारपा के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की स्व: स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	910217.33	565800	1476017.33	378860	1097157.33

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत दारपा के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1052032.3	479794	1531826.3	1072157.8	459668.5

(iii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत दारपा के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (घ)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग(₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	**1434026**	**1233331**	**2667357**	**1481103.02**	**1186253.98**

बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रयोजन	बैंक शेष (₹)
HP State Cooperative Bank sarkaghat	32310108810	Sabha Fund & 5th state	1199031.33
HDFC sarkaghat	50100323879562	Dev. Work	253213
HDFC sarkaghat	50100303485942	14th FC	7107.50
HDFC sarkaghat	50100334251191	15TH FC	1186253.78
		Total	**2645605.61**

बैंक समाधान विवरणी :-	
स्व: स्रोत :-	
दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	₹1097157.33
अनुदान :-	
दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	₹1645922.48
स्व: स्रोत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष	**₹2743079.81**
दिनांक 31.03.23 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	₹2645605.61
अन्तर की राशि	**₹97474.26**

(iv) एमजी नरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	3261645.7	3261645.7	3261645.7	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना, जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.98 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था,

जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹97474.26** की राशि का अन्तर पाया गया । अतः मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये ।

5. (क) पंचायत के स्वः स्रोतों की आय के लिये अलग से बैंक खाते का संचालन न करना:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत दारपा के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु 4 बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । इस बारे सचिव, ग्राम पंचायत दारपा को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-58 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा कारण स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में ग्राम पंचायत सचिव ने खाता "क" व खाता "ख" अलग अलग से संचालित करने को कहा । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹16.46 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत दारपा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक अनुदान ₹16,45,922.48 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii),4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत दारपा द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.42 लाख की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार **₹41781** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त राशि को सम्बन्धित विभाग के खाते में जमा न करवाना राशि ₹0.04 लाख

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं. एस.जे.ई.-ए-ए-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 (हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2016) के बिंदु 3 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीआर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस की प्राप्ति पर विवाह रजिस्ट्रार प्रारूप 4 में रसीद जारी करेगा । सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र सं. PCH-HA(1)8/2013-marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.2016 द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।

ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी(हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जांच एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान ₹3400/- विवाह पंजीकरण फीस के रूप में प्राप्त हुए। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. संख्या	वर्ष	प्राप्त शुल्क (₹)
1.	2021-22	2400

2.	2022-23	1000
	कुल जोड़	**3400**

उक्त धन राशि को पंचायत द्वारा विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में जमा करवाया जाना चाहिए था परन्तु उक्त राशि लेखा परीक्षा अवधि (03/2023) तक पंचायत बैंक खाते में जमा थी तथा राशि को सम्बंधित विभाग को प्रदान नहीं किया गया था, जोकि उपरोक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना थी । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई. /एस.ए.डी./2024-67 दिनांक 06-02-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दारपा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि विवाह पंजीकरण की कम वसूली गयी राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

7 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचातय द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे कि पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया था । जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फर्नीचर फिटिंग ही दर्ज की गयी थी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे । इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, अलमारी, LCD, Bed इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 3 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका

(National Asset Directory) में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अन्तर्गत दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उल्लंघन था जो की गम्भीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-65 दिनांक 05.02.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दारपा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

8. (क) वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹04.86 लाख ज्यादा व सामान पर राशि ₹ 04.86 लाख कम व्यय करना |

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹13.04 लाख की जगह ₹08.18 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹04.86 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹19.57 लाख की जगह ₹24.43 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹04.86 लाख ज्यादा किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)
2022-23	32.61	24.43	19.57	8.18	13.04
कुल आय	**32.61**	**24.43**	**19.57**	**8.18**	**13.04**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-71 दिनांक 07.02.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत दारपा के ध्यानार्थ लाया

गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा । अतः वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹04.86 कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹04.86 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.2 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा । अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर जिला मंडी(हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे । उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजगार दिवसों का विवरण निम्नं तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	वर्ष दौरान रोजगार प्रदान कि जाने कमी
2022-23	148	16	132	415	177	177	12968	58	50283

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अन्तर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमें से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है कि मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गम्भीर नहीं थे जोकि नियमों की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-70 दिनांक 07.02.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दारपा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जॉबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(ग) भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राजस्व की अनुवर्ती हानि

प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या रेव-डी-एफ(II)-11/2010 दिनांक 29.11.2011 द्वारा भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार अधिसूचित किया गया:-

(i) पटवारी अपने वृत्त के सभी राजस्व संपदा के ढाल बछ (Dhal bach) तैयार करेगा तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव/सहायक को सौंपेगा।

(ii) ग्राम पंचायत सचिव/सहायक लम्बरदार के माध्यम से या किसी एजेंसी के द्वारा जैसे भी उचित हो, पछोत्रा अदा करके भू-राजस्व की वसूली करवाना सुनिश्चित करेगा।

(iii) पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करेगा जोकि ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा के अधीन होंगे।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व की जो राशि लम्बरदार द्वारा जमा करवाई जाती थी केवल उसे ही पंचायत की आय में जमा करवाया जाता था। भू-राजस्व की राशि प्रति वर्ष प्राप्त नहीं होती बल्कि दो या तीन वर्ष में एक बार ही प्राप्त की गई थी। जांच में आगे यह पाया गया कि प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग एवं संग्रहण तथा इस सम्बन्ध में अभिलेख संधारित करने की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा था। जबकि पंचायत सचिव/सहायक भू-राजस्व की वार्षिक मांग, संग्रहण एवं बकाया अथवा अग्रिम यदि कोई हो, के अभिलेख तैयार करने चाहिए थे जिससे कि यह पता लगाया जाता की पंचायत को कितना भू-राजस्व प्राप्त होना था तथा कितना संग्रहण के लिए बकाया था जिसकी मांग की वसूली भविष्य में लम्बरदार या किसी एजेंसी के माध्यम से जैसे भी उचित हो सुनिश्चित की जा सके। अतः पंचायत सचिव द्वारा प्रधान सचिव (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार की उक्त अधिसूचना द्वारा जारी आदेशों को अनुपालना नहीं की गई जिससे पंचायत को अनुवर्ती नुकसान भी हो रहा है तथा न ही सम्बंधित अभिलेख तैयार किये गए जिनकी लेखा परीक्षा के दौरान जांच की जाति जोकि नियमो के विरुद्ध था।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-68 दिनांक 06-02-24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दारपा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भू-राजस्व की वसूली के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। जिसे अब हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना के अनुसार भू-राजस्व की मांग व संग्रहण से संबन्धित अभिलेख संधारित लेखापरीक्षा को अवगत किया जाएगा।

9 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन न करना :-

<u>स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशों के अनुसार,</u> प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र कार्य योजना तैयार किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक कचरे का पृथक्करण, संग्रहण, धुलाई, भण्डारण और पुर्नचक्रण योग्य भाग को पंजीकृत एजेंसियों को भेजना। प्लास्टिक कचरे को खुले में

जलाने पर रोक लगाना तथा सभी हित धारकों में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल है।

कार्य योजना में ग्राम स्टार पर प्लास्टिक कचरे का भंडारण, संग्रह एवं एकत्रण केन्द्रों की स्थापना तथा इन केन्द्रों से प्लास्टिक कचरे को ब्लॉक या जिला स्तर पर ले जाना जहाँ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र स्थापित किये जायेंगे। जिले के स्क्रैप व्यापारियों की सूची बनाई जाएगी और इसे इस योजना में शामिल किया जायेगा। कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ड प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों के माध्यम से कचरा संग्रहण किया जाएगा।

ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर जिला मंडी (हि०प्र०) में लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इस ग्राम पंचायत में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्तरों पर अर्थात घरेलू स्तर, संस्थान, स्वस्थ देखभाल केंद्र, वाणिज्यक क्षेत्र और बाजारों में सृजीत कचरे (प्रकार और मात्रा) का कोई आकलन नहीं किया गया था।

इस स्थिति में प्लास्टिक कचरे का ग्राम पंचायत क्षेत्र में न तो संग्रहण किया जा रहा है और न ही प्लास्टिक को खुले में जलाने पर कोई रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया गया था | ग्राम पंचायत के पास जिले मण्डी के स्क्रैप व्यापारियों की कोई सूची भी नहीं थी तथा सभी हितधारको में उनकी जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था | ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह है लेकिन उनकी मदद भी किसी प्रकार से प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए नहीं ली गई थी।

इसके अतिरिक्त खण्ड विकास कार्यालय मण्डी द्वारा वर्ष 2023 में एक लाख रुपये ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए अनुमोदित किये गए थे जोकि व्यय किया जा चुका है। अतः प्लास्टिक कचरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिको द्वारा खुले में फेंका जा रहा है या जलाया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्लास्टिक कचरे के प्रबन्धन से सम्बन्ध दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है तथा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के पालन में ग्राम पंचायत की विफलता दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-69 दिनांक 06.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दारपा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरे का प्रबंन्धन नहीं करवाया जा रहा है

जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार करवाया जाएगा व लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जाएगा ।

10. (क). आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹12368.38 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** में संलग्न है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-74 दिनांक 08.02.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दारपा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.02 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत दारपा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1835.36 की स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (छ)** में सलग्न किया गया है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-73 दिनांक 08.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम

पंचायत दारपा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) 14 वां वित्तायोग में प्राप्त ₹ 0.29 लाख की राशि को पंचायत निधि में हस्तांतरित करने बारे ।

ग्राम पंचायत दारपा विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी (हि० प्र०) की अवधि 1/04/22 से 31-03-23 के अंकेक्षण के दौरान 14 वां वित्तायोग की रोकड़ बही व बैंक खातों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 में प्राप्त **₹28725** की राशि को 06.05.2022 को पंचायत निधि में हस्तांतरित कर दिया गया था जबकि नियमानुसार उपरोक्त राशि संबन्धित अनुदान का हिस्सा है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-72 दिनांक 07.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत दारपा के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत दारपा द्वारा वर्ष 2022-23 में 14 वां वित्तायोग से प्राप्त राशि **₹28725** की राशि को 06.05.2022 को पंचायत निधि में हस्तांतरित कर दिया गया था जबकि नियमानुसार उपरोक्त राशि संबन्धित अनुदान का हिस्सा था, जिसे अंकेक्षण के सुझावानुसार सम्बन्धित निधि में हस्तांतरित करके अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा । अतः उपरोक्त राशि को संबन्धित निधि में जमा करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवाया जाए ।

11. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि०प्र० पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में भी आपत्ति दर्शाई गयी थी परन्तु पंचायत द्वारा इस पर कोई कार्यवाई नहीं की गयी थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. लघु आपति विवरणिकाः-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्षः-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

05/6/24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

05 JUN 2024

2328-2832 का० / 50
पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 32/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत दारपा, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

05 JUN 2024

का० / 50

05/6/24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

परिशिष्ट-"क", पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	
1	पैरा-3	**निर्णीत**	पैरा संख्या 3 के तहत अंकेक्षण अवधि अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के अंतर्गत अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता था, जिसे ड्राफ्ट संख्या 171378 दिनांक 26.09.2017 के माध्यम से विभाग में जमा करवा दिया गया है ।
2	पैरा-4.1	अनिर्णीत	
3	पैरा-4.2	अनिर्णीत	
4	पैरा-5	अनिर्णीत	
5	पैरा-6	अनिर्णीत	
6	पैरा-7	अनिर्णीत	
7	पैरा-8	अनिर्णीत	
8	पैरा-9	अनिर्णीत	
9	पैरा-10	अनिर्णीत	
10	पैरा-11	अनिर्णीत	
11	पैरा-12	अनिर्णीत	
12	पैरा-13	अनिर्णीत	

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	
1	पैरा-3	**निर्णीत**	पैरा संख्या 3 के तहत अंकेक्षण अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2022 के अंतर्गत अंकेक्षण शुल्क 6400 बनता था,जिसे ड्राफ्ट संख्या 260502 दिनांक 30.01.2023 के माध्यम से

			विभाग में जमा करवा दिया गया है ।
2	पैरा-4.1	पुनः प्रारूपित	
3	पैरा-5(क)	अनिर्णीत	
4	पैरा-5(ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा-6(क)	पुनः प्रारूपित	
6	पैरा-6(ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा-6(ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा-7(क)	अनिर्णीत	
9	पैरा-7(ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा-7(ग)	अनिर्णीत	
11	पैरा-7(घ)	निर्णीत	अधिक भुगतान राशि को रसीद संख्या 217709 के तहत दिनांक 07.02.2024 को वसूल कर संबन्धित निधि में जमा करवा दिया है ।
12	पैरा-7(ङ)	अनिर्णीत	
13	पैरा-8(क)	निर्णीत	अधिक भुगतान राशि को संबन्धित निधि में जमा करवा दिया गया है ।
14	पैरा-8(ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा-8(ग)	अनिर्णीत	
16	पैरा-9(क)	अनिर्णीत	
17	पैरा-9(ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा-9(ग)	अनिर्णीत	
19	पैरा-10	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	31
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	10
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	3
अवधि 01.04.14 से 31.03.2023 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	38

परिशिष्ठ -(ख)
पैरा संख्या – 5 (i)

Financial position of own source of Gram Panchyat darpa					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	910217.33	565800	1476017.33	378860	1097157.33

पंचायत सचिव

परिशिष्ट -(ग)
पैरा संख्या - 4(ii)

(17)

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1052032.3	479794	1531826.3	1072157.8	459668.5

Financial position of Grants in Aid incluiding 14th fc of Gram Panchyat darpa

परिशिष्ठ-(घ)
पेरा संख्या-(घ)

Financial position of 15th fc of Gram Panchyat Darapa					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1434026	1233331	2667357	1481103.02	1186253.98

परिशिष्ट-(ङ)
मैरा संख्या - 6(क)

HOUSE TAX STATEMENT AS ON 31-03-2023

PERIOD	O.B.	NO. OF HOUSE HOUSEHOLD	.@ RATE OF REQUIRED TAX	REQUIRED TAX	TOTAL HOUSE TAX	RECEIVED	BALANCE
2022-23	36331	629	50	31450	67781	26000	41781

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड [illegible]
[illegible]

परिशिष्ट-(च)

पैरा संख्या — 10 (क)

Detail of Royalty:-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	15 वां वित्त आयोग								
1	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	32/21.03.2022	रेत	8266	4.25	1.62	6.89	80	550.80
2	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	33/21.03.2022	रेत	8072	4.15	1.62	6.72	80	537.84
3	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	33/21.03.2022	बजरी	14874	7.85	1.52	11.93	80	954.56
	14वां वित्त आयोग								
4	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	20/18.03.2022	रेत	5606	2.89	1.62	4.68	80	374.54
5	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	20/18.03.2022	बोल्डर	5252	4.96	2.24	11.11	80	888.83
6	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	18/18.03.2022	रेत	10359	5.34	1.62	8.65	80	692.06
7	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	18/18.03.2022	बोल्डर	17593	14.91	2.24	33.40	80	2671.87
	मनरेगा								
8	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	06/30.11.2021	रेत	7780	4.00	1.62	6.48	60	388.80
9	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	05/30.11.2021	रेत	7780	4.00	1.62	6.48	60	388.80
10	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	08/01.12.2021	रेत	4133	2.12	1.62	3.43	60	206.06
11	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	07/01.12.2021	रेत	7780	4.00	1.62	6.48	60	388.80
12	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	04/28.11.2021	रेत	7780	4.00	1.62	6.48	60	388.80
13	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	11/01.12.2021	रेत	10697	5.50	1.62	8.91	60	534.60
14	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	01/05.08.2021	रेत	8457	4.25	1.62	6.89	60	413.10
15	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	03/28.01.2021	रेत	7780	4.00	1.62	6.48	60	388.80
16	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	12/01.12.2021	रेत	27230	14.00	1.62	22.68	60	1360.80
17	एम/एस सुनील कुमार गाँव सूरजपुर वारी, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी	02/05.08.2021	रेत	24097	12.75	1.62	20.66	60	1239.30
	कुल योग								12368.38